कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांकः 4245 / 14–1 आगरा : दिनांक : 24/02/ ~~नवम्बर~~, 2022.

सेवा में,

वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा।

विषय : जनपद आगरा में आगरा–जगनेर–तांतपुर मार्ग के किमी0 चैनेज 205.00 से 220.873 के मध्य मार्ग की दांयी पटरी पर भारत संचार निगम लि0 आगरा द्वारा प्रस्तावित भूमिगत ऑप्टीकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु 0.4762 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–2124 / 11–सी दिनांक 23.12.2022 एवं आपका पत्रांक–2934 / 14–1 दिनांक 02.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के द्वारा विषयगत प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या संस्तुति सहित निम्न प्रकार आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क0सं0	आपत्ति	अनुपालन आख्या
.1.	प्रस्ताव के साथ संलग्न स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में ए एव बी में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है।	स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
2.	प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड किया गया है जबकि भूमिगत ऑप्टीकल फाईबर केबिल बिछाने से सम्बन्धित भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–एफसी–11 / 165 / 2019–एफसी दिनांक 27.07.2020 की गाइडलाइन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में छूट प्रदान की गयी है। अतः प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित समस्त अभिलेख प्रस्ताव से पृथक करें एवं ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवं विवरण डिलीट कर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित समस्त अभिलेख प्रस्ताव से पृथक कर दिये गये हैं एवं ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवं विवरण डिलीट कर कर दिया गया है तथा संशोधित प्रस्ताव संलग्न है।
3.	भारत सरकार, नई दिल्ली के संशोधित दर की एन0पी0वी0 सम्बन्धी पत्र सं0–5–3 / 2011–एफसी दिनांक 06.01.2022 की गाइडलाईन में विभिन्न शर्तो के अनुसार एन0पी0वी0 में छूट प्रदान की गयी है। अतः प्रस्ताव में संलग्न एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव से पृथक करें एवं ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड एन0पी0वी0 की गणना डिलीट कर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करें।	प्रस्ताव में संलग्न एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव से पृथक कर दी गयी है एवं ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड एन0पी0वी0 की गणना सम्बन्धी समस्त अभिलेख डिलीट कर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित है।
4.	भू–स्वामित्व वाले विभाग के आर0ओ0डब्ल्यू0 का ले आउट प्लान संलग्न नहीं हैं।	भू–स्वामित्व वाले विभाग के आर0ओ0डब्ल्यू0 का ले आउट प्लान संलग्न हैं।
5.	भू–स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	भू–स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
6.	प्रभागीय निदेशक द्वारा आर0ओ0डब्ल्यू0 के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	भू–स्वामित्व वाले विभाग के आर0ओ0डब्ल्यू0 का ले आउट प्लान संलग्न हैं।
7.	भूमिगत ऑप्टीकर फाईबर केबिल बिछाने से सम्बन्धित भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक –एफसी–11 / 165 / 2019–एफसी दिनांक 27.07.2020 की गाईडलाइन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में छूट प्रदान किये जाने से सम्बन्धित गाईडलाइन प्रस्ताव के साथ संलग्न	संलग्न है।

	करें।	
8.	भारत सरकार, नई दिल्ली के संशोधित दर की एन0पी0वी0 सम्बन्धी पत्र सं0–5–3/ 2011–एफसी दिनांक 06.01.2022 की गाईडलाइन में एन0पी0वी0 की छूट प्रदान किये जाने से सम्बन्धित गाईडलाइन प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	संलग्न है।
9.	उ0प्र0 शासन की पत्र सं0–3337/81–2–2022–600(60)/2000 दिनांक 07.12.2022 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–1966/11सी दिनांक 09.12.2022 के दिशा निर्देशों के क्रम में प्रमाण पत्र संलग्न करें।	संलग्न है।
10.	प्रस्ताव के साथ पेनड्राइव संलग्न है। अतः पुनः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र/वचनवद्वता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर विषयसूची सहित प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक एक ही फोल्डर में पी.डी.एफ. फाईल अपलोड कर एक प्रस्ताव के साथ पेन ड्राइव सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।	संलग्न है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

AKum

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक– / दिनांकित

प्रतिलिपि डिवीजनल इंजीनियर, भारत संचार निगम लि0 टैक्स भवन, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।